

R-8263/PBR/2015

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

प्रो.क /2014-15 /निगरानी

नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री अमर सिंह  
चौहान निवासी चौहान प्याऊ थाटीपुर मुरार  
ग्वालियर

— निगरानीकर्ता

बनाम

1 श्रीमती सुषमा दुबे  
निवासी भिण्ड रोड पावर हाऊस के सामने  
गोले का मंदिर ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थी

2 रामरोवक पुत्र श्री गैदा लाल(फोट)  
निवासी भिण्ड रोड गोले का मंदिर  
ग्वालियर

—परफोर्मा पार्टी

दिनांक 5-10-15  
का श्री जितेंद्र मिश्रा  
कापी काता  
प्रकृत /

5-10-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राज0सहिता 1959 के तहत न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण क 07/2014-15 मे पारित  
आदेश दिनांक 25.08.2015 , 08.09.2015 एवं 18.09.2015 के विरुद्ध

*(Signature)*

mdhu Mishra  
35/10/15  
12:15 p.m

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3263 -पीबीआर/2015

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-10-2015	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25-8-15, 8-9-15 व 18-9-15 की सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । प्रथमतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 3 आदेशों के विरुद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि विधि अनुरूप कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से स्वयं निगरानी में मृतक रामसेवक को औपचारिक पक्षकार दर्शाया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके नाम विलोपित करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्रहय की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>

*Handwritten signature*